assaulted them, when protested to enter the coach;

(b) if so, the details of the case; and

(c) the action Government propose for safety of lady passengers in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) 'Public order' and 'Police' being State subjects, the registration, investigation, detection and prevention of crime, including the crime in trains, is primarily the duty of the State Governments concerned. Details relating to individual incidents of crime are not maintained centrally. However, the Central Government, on its part, has been sending advisories to the State Governments, besides providing them with financial assistance to strengthen their policing infrastructure.

मेरठ और मुजफ्फरनगर में विदेशी नागरिक

2664. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपद में विदेशी (घुसपैठियों) की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन घुसपैठियों की संख्या में भविष्य में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मोहम्मद मकबूल डार**): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सहायता

2665. **श्री रामजीलाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी स्वतंत्रता सेनानी का और उसकी पत्नी का निधन हो जाने पर उसे सरकार से मिलने वाली सहायता व सुविधाएं किन-किन सदस्यों को प्रदान की जाती है;

(ख) परिवार के किन-किन सदस्यों को स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित माना जाता है;

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन आश्रितों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं;

(घ) सरकार इन आश्रितों को किस आधार पर इस आशय के प्रमाण पत्र जारी करती है कि वे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं; और

(ङ) क्या सरकार जीवित स्वतंत्रता सेनानियों या जिनका निधन हो गया है उनके परिवारों को भविष्य में और अधिक सहायता और सुविधायें देने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मोहम्मद मकबूल डार**): (क) और (ख) किसी स्वतंत्रता सेनानी और उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर, उनकी अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां/स्वतंत्रता सेनानी के माता/पिता, पेंशन और केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य संबंधित सुविधाओं के पात्र होंगे। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत विधवा/विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां, माता/पिता को इसी क्रम से, स्वतंत्रता सेनानी के पात्र माना जाता है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे **देखिए**)।

(घ) केन्द्र सरकार इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है।

(ङ) इस समय केन्द्र सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

(क) उनकी विधवाओं/परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा।

(ख) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी की आवंटित सरकारी आवास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति,

स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद भी एक निर्धारित अवधि तक इस आवास को रखने के पात्र हैं।

(घ) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिकारों के बिना और मात्र आंध किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे हर राज्य में अलग-अलग हैं और केन्द्र सरकार इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग

2666. **श्री अजीत जोगी:**
श्री रामजीलाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 के दौरान और वर्ष 1997 में अब तक सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्रय कितनी बार लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1.1.1996 से 30.11.96 तक जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अधिनियम में इसके दुरुपयोग से बचाव के लिए अन्तर्भूत सुरक्षोपाय है क्योंकि प्रत्येक निरुद्धि आदेश की जांच, उच्च न्यायालय के तीन पदासीन/सेवानिवृत न्यायाधीशों वाले एक सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाती है। आगे, निरुद्ध व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन भेज सकता है, इस अभ्यावेदन की जांच की जाती है और गुण-दोष के आधार पर इसे निपटाया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन 1.1.96 से 30.11.96 तक जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी किए गए निरुद्धि आदेशों का योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	—
2.	असम	—
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	कर्नाटक	—
8.	मध्य प्रदेश	88
9.	महाराष्ट्र	354
10.	मणिपुर	45
11.	मेघालय	7
12.	नागालैंड	99
13.	उड़ीसा	13
14.	पंजाब	—
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	15
17.	त्रिपुरा	—
18.	उत्तर प्रदेश	425
19.	सिक्किम	—
20.	गोवा	—
21.	मिजोरम	—
22.	अंडमान और निकोबार	—
23.	चंडीगढ़	—
24.	दिल्ली	—
	जोड़	1057